रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1985 (ज्येष्ठ 11, 1907)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985 (JYAISTHA 11, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	439
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	667
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	727
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 1 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	17671
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	429
भाग III—खण्ड 3—कुछ आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1245
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	97
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	439
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	667
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	727
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	17671
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	429
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1245
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	97
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली दिनांक 22 मई 1985

सं० 57-प्रेज/85--राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सी०बी० सत्तपति,

पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,

आजमगढ़,

उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

19 अगस्त, 1981, को जब श्री राजेन्द्र पाण्डे, एडवोकेट, एक अन्य व्यक्ति के साथ आजमगढ़ जिला न्यायाधीश के न्यायालय के परिसर से मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे, तो 5 कुख्यात अपराधियों ने उनको मोटर साइकिल पर एक बम फेंका । सवार गम्भीर रूप से घायल होने के कारण गिर पड़े । श्री सी०बी० सत्तपति, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, ने, जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, दो सशस्त्र व्यक्तियों को, परिसर द्वार के नजदीक श्री राजेन्द्र पाण्डे और उनके सह-यात्री पर आग्नेयास्त्रों से निशाना लगाते हुए देखा । उन्होंने अपना वाहन रोका और अपराधी खाड़ी सड़क की ओर भागे । श्री सत्तपति ने पैदल ही उनका पीछा किया और हैड कांस्टेबल तथा ड्राइवर को शस्त्रों सहित अपने पीछे आने का आदेश दिया । पीछा करने के दौरान अपराधियों ने मुख्यत श्री सत्तपति को निशाना बनाते हुए पुलिस दल पर तीन फायर किये । अपराधियों ने मिशन के अहाते की दीवार फांदी और वहां पर उगी हुई घनी घास में शरण ली । श्री सत्तपति दीवार कूद गये और परिसर में प्रवेश किया तथा हैड कांस्टेबल और ड्राइवर को मुख्य द्वार पर पोजिशन लेने का आदेश दिया । श्री सत्तपति घनी घास में छिपे एक अपराधी पर झपटे और हाथापाई करके उसे काबू में कर लिया । अपराधी को हैड कांस्टेबल के हवाले कर दिया । उसके पश्चात उन्होंने ड्राइवर को साथ लेकर अन्य अपराधी की खोज शुरु की । घनी घास में छिपे हुए, दूसरे अपराधी को भी काबू में कर लिया । उनके पास से, .32 बोर का एक रिवाल्वर, .303 बोर का एक रिवाल्वर और खाली तथा भरे हुए कारतूस बरामद किये गये ।

श्री सी०बी० सत्तपति, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 अगस्त, 1981, से दिया जाएगा ।

सं० 58-प्रेज/85--राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री टी० लालथलामुआना,

पुलिस निरीक्षक,

एजौल जिला विशेष शाखा,

एजौल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

27 मई, 1984, को श्री टी० लालथलामुआना, पुलिस निरीक्षक, जिन्हें एजौल में विद्रोही समस्याओं से निपटने का कार्य सौंपा गया था, को सूचना प्राप्त हुई कि एस०एस० सार्जेंट सियामलियना अपने साथियों और एस०एस० सी०पी०एल० लालरोपुइया, मिशन बेंग, एजौल में श्रीमती थानसंगी के घर में उपस्थित थे । फौरन ही उन्होंने एक छापामार दल का गठन किया और श्रीमती थानसंगी के घर की ओर गये । वहां पहुंच कर, उन्होंने पुलिस दल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया । एक ग्रुप ने घर के पीछे के भाग को घेर लिया और दूसरे ग्रुप ने जंगल में एक तरफ मोर्चा संभाला । भारी खतरे के बावजूद श्री टी० लालथलामुआना, जो तीसरे दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने तलाशी दल को घर के अन्दर ले जाने का निर्णय किया । जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि एक मिजो नेशनल फ्रंट का व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ खाना खा रहा था । श्री लालथलामुआना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । समर्पण करने के बजाय एस०एस० सार्जेंट सियामलिआना ने अपने हथियार उठाये और गोली चलायी जो उनके पेट में लगी । साहस खोये बिना, श्री लालथलामुआना ने भी जवाब में अपराधी पर गोली चलायी, जिससे वह तत्काल मारा गया । इस बीच, एस०एच०सी०पो० एल० लालरोपुइया ने खिड़की से छलांग लगाई लेकिन बाहर प्रतीक्षा कर रहे पुलिस दल ने उन्हें शरण देने वाले दो व्यक्तियों सहित पकड़ लिया । मकान से एक एम-20 पिस्तौल, गोला-बारुद के 10 राउंड बरामद किए गए । बाद में श्री टी० लालथलामुआना ने अस्पताल पहुंचने के लिए उधर से जा रही एक जीप में लिफ्ट ली, जहां उनका तुरन्त आपरेशन किया गया ।

श्री टी० लालथलामुआना, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 मई, 1984, से दिया जाएगा ।

सं० 59-प्रेज/85--राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री करुणा सिन्धु डे,

पुलिस निरीक्षक,

पश्चिम सर्कल,

सिल्चर जिला ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

23 मई, 1984, को श्री अरुणा सिंधु डे, पुलिस निरीक्षक, को सूचना मिली कि सन्थापाड़ा के अजगौर अली उर्फ असकर और अनन्दपूर के निआजुर रहमान उर्फ निआजुल रहमान के नेतृत्व में डाकुओं के अन्तर-जिला गिरोह, जिसने कई डकैतियां तथा हत्याएं की थीं, एक अन्य डकैती डालने के लिए कार में जा रहा था। वह तुरन्त अपनी जीप में घटना-स्थल की ओर गये। श्री डे ने सामने से तेज गति से आती एक कार को देखा। उन्होंने ड्राइवर को कार को रोकने का आदेश दिया। जैसे ही कार रुकी श्री डे ने तुरन्त डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। डाकू निआजुर रहमान ने अपनी डी०बी०बी०एल० बन्दूक से निरीक्षक पर गोली चलाने का प्रयास किया किन्तु श्री डे ने अपने बायें हाथ से बन्दूक पकड़ ली और इसे ऊपर की ओर मोड़ दिया और उसी समय उन्होंने अपनी रिवाल्वर से दूसरे डाकू अजगौर अली की जांघ में आघात किया। डाकू रहमान ने अपनी बन्दूक से दो राउंड गोलियां चलाईं, परन्तु निशाना चूक गया। इससे पहले कि डाकू रहमान कोई कार्रवाई कर सके, श्री डे ने अपनी .38 रिवाल्वर से दूसरी गोली चलाई जो डाकू निआजूर रहमान के बायें हाथ में लगी और उसके हाथ से डी०बी०बी०एल० बन्दूक छूट गई। यह देखकर अन्य दो डाकू अर्मेल अली और कुदरत अली भाग गए। श्री डे ने भागते हुए डाकुओं पर गोली चलाई लेकिन वे अपने पीछे एक स्लदी ट्रंक छोड़कर अंधेरे की आड़ में बचकर भाग गए। तत्पश्चात् डाकू अजगौर और निआजुर तथा कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक डी०बी०बी०एल० .12 बोर बंदूक, एक एस०बी०बी०एल० .12 बोर बन्दूक, .12 बोर गोलाबारूद के 35 राउंड और एक छुरा उनसे बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री करुणा सिंधु डे, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 मई, 1984, से दिया जाएगा।

सं० 60-प्रेज/85-शुद्धिपत्र--'विशेष नामोल्लेख से सम्बन्धित' दिनांक 11 मई, 1974, के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1, में प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 26 अप्रैल, 1974, को अधिसूचना सं० सं० 67-प्रेज/74 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

पृष्ठ 2 पर

क्रम सं० 22

"मेजर इंदरजीत कश्यप (एम आर 1394) ए एम सी" के स्थान पर

"मेजर इंदरजीत कश्यप (एम आर 1398) ए एम सी पढ़ें।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 17 अप्रैल 1985

संकल्प

सं० ए-43012/1/84-प्रशा०-1—दिनांक 19 फरवरी 1985 के समसंख्यक संकल्प के आंशिक रूप में संशोधन करते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्य प्राणी तथा वन विभाग में भारत सरकार के विशेष सचिव (वन महानिरीक्षक) भी राष्ट्रीय पर्यावरणीय सलाहकार समिति के सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्यों को संकल्प की एक प्रति दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये।

बी० सुब्बाराव, संयुक्त सचिव

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय

नई दिल्ली दिनांक 29 अप्रैल 1985

संकल्प

सं० ई-11011/10/75-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 20 अप्रैल, 1983 के इसी संख्या के संकल्प के अधीन पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के लिए गठित की गई "पर्यटन और नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति" में के गठन में कुछ परिवर्तन-परिवर्धन करने का निर्णय किया गया है। तदनुसार अब "पर्यटन और नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति" का गठन इस प्रकार होगा :—

पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री — अध्यक्ष

संसद सदस्य

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1. श्री एम० रामचन्द्रन, संसद सदस्य (लोक सभा), केरल हाऊस, नई दिल्ली-110001। — सदस्य
2. श्री चिरंजी लाल शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा), 15, बलवंत राय लेन, नई दिल्ली। — सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री पी०एन० सुकुल, संसद सदस्य (राज्य सभा), 15, जनपथ, नई दिल्ली-110001। — सदस्य
4. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा), 224, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली-110001। — सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5., 6. } नामित किए जाने है, — सदस्य

स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्वान आदि

1. श्री रमा प्रसन्न नायक, एफ-33, तारा अपार्टमेन्टस, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 — सदस्य
2. श्री क्षेमचन्द्र "सुमन" अजय निवास, दिलशाद कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032 — सदस्य
3. डा० इन्द्रनाथ चौधुरी, सचिव, साहित्य अकादमी, 183, टैगोर पार्क, दिल्ली-110009 — सदस्य
4. श्री विनोद कुमार मिश्र, संपादक, हिन्दुस्तान, डी/66, गुलमोहर पार्क, 1 नई दिल्ली-110049। — सदस्य
5. श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स, ई-70, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 नई दिल्ली-110049 — सदस्य
6. श्रीमती मनुहरि पाठक, पत्रकार, डी-1/47, रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली-110003। — सदस्य
7. श्री घनश्याम पंकज, संपादक, सांध्य समाचार सेवा, टाइम्स हाउस 16, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001। — सदस्य

8. अध्यक्ष, सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली–110023।

9. श्री अलोक मेहता, सदस्य
विशेष संवाददाता, नवभारत टाइम्स,
सी–112, मिटो रोड,
नई दिल्ली–110002।

10. श्री गंगाशरण सिंह, सदस्य
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ,
12, राजेन्द्र नगर, पटना–800016।

11. डा० विद्या निवास मिश्र, सदस्य
बादशाह बाग कालोनी, सिगरा,
वाराणसी।

12. डा० (प्रो०) शशि शेखर तिवारी,
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग सदस्य
भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर–812007।

13. डा० कुमारी रमा सिंह, सदस्य
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
जोधपुर विश्वविद्यालय, किशोर भवन,
पुलिस लाइन के सामने, रतनाडा,
जोधपुर–342001।

14. श्री अम्बिका दत्त मिश्र, सदस्य
पत्रकार, 240, मुट्ठी गंज,
इलाहाबाद–211003।

15. श्री हरिहर नाथ मिश्र, सदस्य
फ्लैट नं० 2, ब्लांक नं० 11, नगर महापालिका फ्लेट्स,
सी०एस०पी० सिंह रोड (हेस्टिंग्स रोड)
इलाहाबाद–211001।

16. श्री ए० वी० श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य
प्रधान सचिव, कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति,
जयनगर, बंगलौर–560011।

17. श्री धीरेन्द्र कुमार,
मुख्य सम्पादक, "धीर" साप्ताहिक, सदस्य
15, श्री० वी० के० आयंगर रोड,
बंगलौर–560053।

18. डा० एन० चन्द्रशेखरन नायर, सदस्य
प्रोफैसर और अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
महात्मा गांधी कालेज, श्री निकेतन,
पद्म पेलेस पो०आ०,
त्रिवेन्द्रम–695004।

19 श्री एम० के० वेलायुधन नायर, सदस्य
मंत्री, केरल हिन्दी प्रचार सभा,
त्रिवेन्द्रम–695014।

अधिकारी सदस्य

1. सचिव, सदस्य
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

2. सचिव, सदस्य
राजभाषा विभाग और
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

3. महानिदेशक, पर्यटन सदस्य

4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), नागर विमानन सदस्य

5. संयुक्त सचिव (वित्त), सदस्य
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

6. अपर महानिदेशक, पर्यटन सदस्य

7 संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य

8. महानिदेशक, सदस्य
नागर विमानन

9. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त सदस्य

10. अध्यक्ष, सदस्य
भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण

11. प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
एयर इंडिया

12. प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स सदस्य

13. प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
भारत पर्यटन विकास निगम

14. प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
भारतीय होटल निगम

15. महा प्रबन्धक, वायुदूत सदस्य

16. निदेशक, नागर विमानन सदस्य

17. निदेशक, पर्यटन सदस्य

18. निदेशक (राजभाषा), सदस्य–सचिव
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

2. इस समिति के कार्य, कार्यकाल, भत्ते, मुख्यालय, आदि विषयों से संबंधित शर्तें और व्यवस्थाएं वे ही बनी रहेंगी जो इस समिति के गठन के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल, 1983 के इसी संख्या के संकल्प के क्रमशः पैरा 2, 3, 4 और 5 में दी गई थीं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जितेन्द्र नाथ कौल, संयुक्त सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली दिनांक मई 1985

संकल्प

सं० 15(2)/83–बा०नि०—सैट कटाव बोर्ड के पुनर्गठन सम्बन्धी सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के 4 अप्र, 1971 के संकल्प सं० बा०नि० 15(3)/71 में क्रम सं० 3 में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

3. डा० एम० मनोहर, सदस्य
इंजीनियरी परामर्शदाता,
अपार्टमेन्ट 3 सी, विजय अपार्टमेन्टस,
405, थाडागम रोड,
कोयम्बतूर,

क्रम सं० 3 को वर्तमान प्रविष्टि को निकाल दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और नौवहन तथा परिवहन, रक्षा, शिक्षा, वित्त (व्यय विभाग), गृह, रेल, निर्माण और आवास मंत्रालयों को सूचनार्थ भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम सूचना के लिए राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित कर दें।

मा० आ० चितले, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1985

सं० एस-24019/21/81-एम-5/डब्ल्यू-II—संकल्प दिनांक 10 जुलाई, 1984 में "नियोजकों के प्रतिनिधि" के अंतर्गत आने वाली कम्पेक्ट स्थायी त्रिपक्षीय समिति के गठन में क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रति-स्थापित की जाए।

7. श्री जे० पी० उपाध्याय,
मैसर्स मोहन लाल हरगोविन्द दास,
933, गोल बाजार,
जबलपुर-482002 (मध्य प्रदेश)।

रवि दत्त मिश्र, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd May 1985

No. 57-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

Name and rank of the officer

Shri C. B. Satpathy,
Senior Supdt. of Police,
Azamgarh (UP)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 19th August, 1981, while Shri Rajendra Pande, Advocate alongwith another person was going on a Motor-cycle towards the main road from inside the Court compound of the District Judge, Azamgarh, a bomb was thrown on the motor-cycle by five notorious criminals. The riders fell down after receiving grievious injuries. Shri C. B. Satpathy, Senior Supdt. of Police who happened to pass that way saw two armed persons standing on the main road near the compound gate aiming their fire arm at Shri Rajendra Pande and his co-passenger. He stopped his vehicle and the culprits ran towards Thandi Sarak. Shri C. B. Satpathy chased the culprits on foot and ordered his Head Constable and the Driver to follow him with their arms. During the case the culprits fired thrice at the police party mainly aiming at Shri Satpathy. The culprits jumped the wall of the Mission Compound and took refuge inside the thickly grown grass. Shri Satpathy also jumped the wall and entered the compound and ordered the Head Constable and the Driver to take positions near the gate. Shri Satpathy pounced upon one of the culprits hiding in the large grass and over-powered him after a scuffle. The culprit was handed over to the Head Constable. Thereafter, he alongwith the driver started search for the other criminal. The other accused who was hiding in the large grass was also over-powered. One .32 bore revolver, one .303 bore revolver, live and fire cartridges were recovered from them.

Shri C. B. Satpathy, Senior Supdt. of Police, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admission under rule 5, with effect from the 19th August, 1981.

No. 58-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer
Shri T. Lalthlamuana,
Inspector of Police,
Aizawl.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th May, 1984, Shri T. Lalthlamuana, Inspector of Police, who was entrusted with the task of dealing with insurgency problem in Aizawl, received an information about the presence of SS Sgt. Siamliana and his colleagues and SS. Cpl Lalropuia in the house of Smt. Thansangi at Mission Veng, Aizawl. He immediately organised raiding party and proceeded towards the house of Smt. Thansangi. On arrival there, the police party was divided into three groups. One group covered the rear of the house and the second took position in the jungle at a side. Inspite of great risk and danger Shri T. Lalthlamuana, who was heading the third party decided to take the search party into the house. As soon as he entered the house he found the MNF with two others taking food. Shri Lalthlamuana challenged them to surrender. Instead of surrendering SS Sgt. Siamliana took his weapon, fired and hit him in the stomach. Without loosing courage Shri Lalthlamuana fired back at the criminal and shot him dead instantaneously. SS Cpl. Lalropuia tried to jump down through the window but was apprehended alongwith two harbourers by the police party waiting outside. One M-20 pistol, 10 rounds of ammunition were recovered from the House Later Shri T. Lalthlamuana took lift in a passing jeep to reach hospital where he was immediately operated upon.

Shri T. Lalthlamuana, Inspector of Police, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admission under rule 5, with effect from the 27th May, 1984.

No. 59-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of the officer

Shri Karuna Sindhu Dey,
Inspector of Police,
West Circle,
Silchar District.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 23rd May, 1984, Shri Karuna Sindhu Dey, Inspector of Police received information that an inter-district gang of dacoits led by Ajgor Ali @ Askar of Salchapra and Niazur Rehman @ Niajul Rehman of Anandpur which had committed several dacoities and murders was proceeding in a car to commit yet another decoity. He immediately rushed to the spot in his jeep. Shri Dey saw a car approaching from opposite side at a break-neck speed. He ordered his driver to stop the car. As soon as the car stopped Shri Dey jumped out of the jeep and challenged the dacoits to surrender. Dacoit Niazur Rehman tried to fire at the Inspector with his DBBL gun but Shri Dey caught hold of the gun with his left hand and thrust it upwards and simultaneously hit the other dacoit Ajgor on his thigh with a revolver. Dacoit Rehman fired two rounds from his gun but in vain. Before dacoit Rehman could react to the situation. Shri Dey fired second round from his .38 revolver and the bullet hit the right hand of the dacoit Niazur Rehman and the DBBL gun dropped down from his hand. On seeing this other two dacoits Arbesh Ali and Kudrat Ali ran away. Shri Dey fired on the fleeing dacoits but they managed to escape under the cover of darkness leaving behind a bloody track. Later

Dacoits Ajgor and Niazur and the driver of the car were arrested and one DBBL .12 bore gun, one SBBL .12 bore gun, 35 rounds of .12 bore ammunitions and dagger were recovered from them.

In this encounter, Shri Karuna Sindhu Dey, Inspector of Police exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd May, 1984.

No. 60-Pres/85-Corrigendum.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 67-Pres/74 dated 26th April, 1974, Published on 11th May, 1974, in part I, section 1 of the Gazette of India relating to the 'Mention-in-Despatches :—

At page 2

Serial No. 22

For : Major Inderjit Kashyap (MR-1394), AMC

Read : Major Inderjit Kashyap (MR-1398), AMC

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

New Delhi, the 17th April 1985

RESOLUTION

No. A.43012/1/84-Admn.I.—In partial modification of even No. dated 19th February, 1985, the Government of India have decided that the Special Secretary to the Government of India (Inspector General of Forests) in the Department of Wildlife and Forests of the Ministry of Environment and Forests would also be the member of the National Environmental Advisory Committee (Rashtriya Paryavaran Salahkar Samiti).

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other members of the National Environmental Advisory Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. SUBBA RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 29th April 1985

RESOLUTION

No. E-11011/10-75-Hindi.—It has been decided to make some modifications-additions in the composition of the "Paryatan Aur Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samiti" constituted for the Ministry of Tourism and Civil Aviation vide this Ministry's Resolution of even No. dated 20th April, 1983. Accordingly now the composition of "Paryatan Aur Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samiti" will be as follows :—

Minister of State for Tourism & Civil Aviation : Chairman

Members of Parliament

Two M. Ps. from Lok Sabha

Members

1. Shri M. Ramchandran, M. P. (Lok Sabha),
Kerala House,
New Delhi-110001.

2. Shri Chiranji Lal Sharma, M.P. (Lok Sabha),
15, Balwant Rai Lane,
New Delhi.

Two M. Ps. from Rajya Sabha

3. Shri P. N. Sukul, M. P. (Rajya Sabha),
15, Janpath,
New Delhi-110001.

4. Shri Jagdambi Prasad Yadav, M. P. (Rajya Sabha),
224, North Avenue,
New Delhi-110001.

Two M. Ps. from Committee of Parliament on Official Language

5. To be nominated

6. To be nominated

Representatives from Valuntary Hindi Organisations, Scholars, etc.

Members

1. Shri R. P. Naik,
F-35, Tara Apartments,
Kalkaji,
New Delhi-110019.

2. Shri Kshemchandra "Suman",
Ajay Nivas, Dilshad Colony, Shahdara,
Delhi-110032.

3. Dr. Indra Nath Choudhury,
Secretary,
Sahitya Akademi,
183, Tagore Park,
Delhi-110009.

4. Shri Vinod Kumar Mishra,
Editor, Hindustan,
B/66, Gulmohar Park,
New Delhi-110049.

5. Shri Shrikant Tripathi,
Nav Bharat Times,
E-70, South Extension Pt. 1,
New Delhi-110049.

6. Smt. Manuhari Pathak,
Journalist,
D-I/47, Rabindra Nagar,
New Delhi-110003.

7. Shri Ghanshyam Pankaj,
Editor, Sandhya Samachar Seva, Times House,
16, Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001.

8. President,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023.

9. Shri Alok Mehta,
Special Corrrespondent,
Navbharat Times,
C-112, Minto Road,
New Delhi-110002.

10. Shri Ganga Sharan Sinha,
President,
Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh,
12, Rajendra Nagar,
Patna-800016.

11. Dr. Vidya Nivas Mishra,
M/3, Badshah Bagh Colony, Sigra,
Varanasi.

12. Dr. (Prof.) Shashi Shekhar Tiwari,
Head, Post Graduate Hindi Deptt.,
Bhagalpur University,
Bhagalpur-812007.

13. Dr. Kumari Rama Singh,
Prof. and Head of Hindi Deptt.,
Jodhpur University, Kishore Bhawan,
Opp. Police Line, Ratnada,
Jodhpur-342001.

14. Shri Ambika Datt Mishra,
Journalist,
240, Mutthi Ganj,
Allahabad-21003,

15. Shri Harihar Nath Mishra,
Flat No. 2, Block No. 11, Nagar Mahapalika Flats,
C.S.P. Singh Road (Hastings Road),
Allahabad-211001.

16. Shri A. V. Shriniwas Murthy,
General Secretary,
Karnataka Hindi Prachar Samiti,
1st Block, Jayanagar,
Bangalore-560011.

17. Shri Dhirendra Kumar,
Chief Editor, "DHEER" Weekly,
15, B. V. K. Iyengar Road,
Bangalore-560053.

18. Dr. N. Chandrasekharan Nair,
Prof. and Head, Hindi Deptt.,
Mahatma Gandhi College,
Shreeniketan, Pattam Palace P.O.,

19. Shri M. K. Velayudhan Nair,
Secretary,
Kerala Hindi Prachar Sabha,
Trivandrum-695014.

OFFICIAL MEMBERS

Members

1. Secretary,
Ministry of Tourism & Civil Aviation
2. Secretary,
Department of Official Language
and Hindi Adviser to the Govt. of India.
3. Director General, Tourism
4. Joint Secretary (Admn.), Civil Aviation
5. Joint Secretary (Finance),
Ministry of Tourism & Civil Aviation
6. Additional Director General, Tourism
7. Joint Secretary,
Department of Official Language
8. Director General of
Civil Aviation.
9. Chief Commissioner of
Railway Safety.
10. Chairman,
International Airports Authority
of India.
11. Managing Director, Air India.
12. Managing Director, Indian Airlines.
13. Managing Director,
Indian Tourism Development Corporation.
14. Managing Director,
Hotel Corporation of India.
15. General Manager, Vayudoot.
16. Director, Civil Aviation,
17. Director, Tourism.

Member-Secretary

18. Director (Official Language),
Ministry of Tourism & Civil Aviation

2. The terms and conditions and provisions relating to the functions, tenure, allowances, headquarters, etc. of the Samiti will continue to be the same as have been indicated in Paras 2, 3, 4 and 5 respectively of the Resolution of even No. dated 20th April, 1983 relating to the constitution of the Samiti.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. N. KAUL, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 9th May 1985

RESOLUTION

No. 15(2)/83-FC.—In paragraph 2 of the Ministry of Irrigation and Power Resolution No. FC-15(3)/71 dated the 4th June, 1971 reconstituting the Beach Erosion Board, the following may be included at serial No. 3 :—

3. Dr. M. Mahobar,
Engineering Consultant,
Apt 3 C, Vijay Apartments,
405 Thadagam Road,
Coimbatore.

The existing entry at serial No. 3 may be deleted.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to the concerned States/Union Territories, the Private Secretary and Military Secretary to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and the Ministries of Shipping and Transport, Defence, Education, Finance (Department of Expenditure), Home Affairs, Railways, Works & Housing for information.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Government concerned may be requested to publish in the State Gazette for general information.

M. A. CHITALE
Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th May 1985

No. S-24019/21/81-MV/W.II.—The composition of the Compact Standing Tripartite Committee appearing in the resolution dated 10th July, 1984 under 'Employers Representatives' may be substituted at 7 by the following :—

7. Shri J. P. Upadhyay
M/s. Mohanlal Hargovinddas,
933, Gole Bazar,
Jabalpur-482002 (Madhya Pradesh).

R. D. MISHRA
Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985